24.11.22	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर हाजर पराजी पेशा वकील प्रार्थी उप। चूँकि प्रार्थी ने सम्पूर्ण वाद विड्रो कर लिया है अतः प्रार्थनापत्र भी चलने योग्य न होने से खारिज किया जाता है, पराजी फैक्ट न शुल्क की जामबाद तमील दाखिल करना हो।	